भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं0 253
दिनांक 20 मार्च, 2017

पेट्रोल पंपों पर आग लगना

*253. श्रीमती सावित्री ठाकुरः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से मोबाइल फोनों के कारण पेट्रोल पंपों पर आग लगने की घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित की गई ऐसी घटनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देशभर के पेट्रोल पंपों के परिसरों विशेषकर एल॰पी॰जी॰ और सी॰एन॰जी॰ स्टेशनों पर जैमर्स अथवा डिस्टरबेन्स डिवाइसेज़ लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“पेट्रोल पंपों पर आग लगना” के संबंध में संसद सदस्य श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा पूछे गए दिनांक 20 मार्च, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 253 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि मोबाईल फोन के उपयोग के कारण पेट्रोल पम्पों पर आग लगने की कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) और (घ) : पीईएसओ ने सूचित किया है कि सरकार का पूरे देश में पेट्रोल पंपों के परिसरों और खासतौर से एलपीजी और सीएनजी स्टेशनों में जैमर अथवा बाधित करने वाले उपकरण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******